( राजस्थान–सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 48 / 2023**

**बउनवान**

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री आकाश लववंशी पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 25 वर्ष जाति लोधा निवासी –36–सी कनक विहार देवली अरब मार्ग बोरखेडा कोटा जिला कोटा राज0 (स्टोर मेनेजर एवं मालिक) मैसर्स– रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड प्लॉट इन खसरा नम्बर 1254 / 493, 1255 / 494 कोटा बारॉ रोड बमोरी, अन्ता जिला बारॉ (राज.)
2. श्री नितिन मल्होत्रा पुत्र श्री दयालदास मल्होत्रा निवासी ए–196 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर राज0 (नोमिनी ए–बी) (ए) मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड प्लॉट इन खसरा नम्बर 1254 / 493, 1255 / 494 कोटा बारॉ रोड बमोरी, अन्ता जिला बारॉ राज. (बी) मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड प्लॉट नं0 बी–192 रोड नं0 9 एफ, वीकेआई एरिया जयपुर राजस्थान 302013
3. मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड प्लॉट इन खसरा नम्बर 1254 / 493, 1255 / 494 कोटा बारॉ रोड बमोरी, अन्ता जिला बारॉ राज.
4. मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड प्लॉट नं0 बी–192 रोड नं0 9 एफ, वीकेआई एरिया जयपुर राजस्थान 302013
5. श्री मगनलाल कुमावत पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी कुम्हारो का बास, सुमेरपुर, पालील राज0 (मालिक) मैसर्स सी एम फूड्स, प्लॉट नं0–09ए रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, अन्गोरे ए सुमेरपुर पाली राज0 306902
6. मैसर्स सी एम फूड्स, प्लॉट नं0–09ए रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, अन्गोरे ए सुमेरपुर पाली राज0 306902

(अप्रार्थीगण)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 4)
3– श्री यशपाल तिवारी कम्पनी प्रतिनिधी (अप्रार्थी क्रम 5 ता 6)

**निर्णय दिनांक 02.02.2024**

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.02.2023 को मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड प्लॉट इन खसरा नम्बर 1254 / 493, 1255 / 494 कोटा बारॉ रोड बमोरी, अन्ता जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री आकाश लववंशी पुत्र श्री दुर्गालाल लोधा (स्टोर मैनेजर एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.02.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ [illegible] पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल** [illegible] पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके [illegible] पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक के 04 मूल पैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री आकाश लववंशी पुत्र श्री दुर्गालाल लोधा (स्टोर मैनेजर एवं विक्रेता) को 700 /– रूपये (अक्षरे सात सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1678 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1678 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री आकाश लववंशी पुत्र श्री दुर्गालाल लोधा (स्टोर मैनेजर एवं विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/76 दिनांक 22.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 97/PHL/kota/Act/2023/97 दिनांक 16.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया एवं अप्रार्थी क्रम 5 व 6 की ओर से श्री यशपाल तिवारी द्वारा मय ऑथोराईजेशन लेटर के दिनांक 11.08.2023 को कम्पनी के प्रतिनिधी के रूप मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

**अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के अभिभाषक** द्वारा [illegible] इस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि उक्त उनवान का परिवाद माननीय न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अप्रार्थीगण उत्तरदाता को पक्षकार बनाया गया है, जबकि अप्रार्थी [illegible] उत्तरदाता द्वारा उक्त लहसुन की चटनी अप्रार्थी क्रम 05 व 06 से क्रय की गई थी, [illegible] अप्रार्थी क्रम 05 व 06 के द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है उसमे रैपर पर मैन्युफैक्चर डेट व एक्सपाइरी डेट अंकित की हुई है साक्ष्य हेतु उसकी एक कॉपी अप्रार्थी क्रम 05 व 06 के द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है। इस कारण से उक्त पोडक्ट मिथ्याछाप की श्रेणी मे नही आता है। यह कि लहसुन चटनी छगन मगन नाम से विक्रय की जाती है, जिसका प्रोडक्ट अप्रार्थी क्रम 05 व 06 के द्वारा किया जाता है। रिलाइन्स रिटेली अन्ता के यहां से उक्त प्रोडक्ट का नमूना प्रार्थी द्वारा लिया गया था, उस समय आकाश लववंशी उक्त रिलाइन्स रिटेल के मैनेजर के रूप मे कार्य करते थे, अब उन्होने रिलाइन्स रिटेल के यहां मैनेजर के कार्य से इस्तिफा दे दिया है। इनके

स्थान पर अन्य मैनेजर पुनित शर्मा कार्य कर रहे है। यदि किसी प्रकार का दोष है तो छगन मगन नाम से लहसुन चटनी प्रोडक्शनकर्ता का बनता है, जिसका जवाब न्यायालय श्रीमान मे पेश हो चुका है। अप्रार्थी उत्तरदाता के विरूद्व किसी प्रकार का दायित्व उक्त प्रकरण मे नही रहता है। यह कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण उत्तरदाता को प्राप्त नही हुई है, इसलिए उसकी अपील प्रस्तुत करने काप तथ्य प्रथम दृष्टिया प्रकरण दूषित करता हैं। अप्रार्थीगण उत्तरदाता के विरूद्व उक्त परिवाद झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है तथा चलने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

**अप्रार्थी क्रम 5 ता 6** की ओर से प्रस्तुत जवाब मे अंकित किया गया है कि लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक की जॉच खाद्य विश्लेषक, कोटा से करवाये जाने पर, उक्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 97/PHL/kota/Act/2023/97 दिनांक 16.02.2023 मे रेपर पर मैनिफेक्चर डेट व एक्सपाइरी डेट अंकित नही होना बताया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना बताया गया है। कम्पनी द्वारा उक्त त्रुटि को सही कर लिया गया है जिसका नया रेपर भी अपने जवाब के साथ संलग्न किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही मे सुधारत्मक निर्देश दिये जाकर प्रकरण निस्तारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 97/PHL/kota/Act/2023/97 दिनांक 16.02.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लहसून चटनी (छगनमगन) 400 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 97/PHL/kota/Act/2023/97 दिनांक 16.02.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को कुल जुर्माना राशि 80,000/– रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 ता 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक **02.02.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)